

फा.सं. वाई-18/1/2018-बीएफएल

भारत सरकार

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय

पंचशील भवन, अगस्त क्रांति मार्ग

नई दिल्ली-110049

दिनांक: 08.05.2019


सूचना

विषय: प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना की बैकवर्ड एवं फारवर्ड लिंकेज सृजन स्कीम के अंतर्गत एसटी तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र के प्रस्तावों हेतु वित्तीय सहायता के लिए प्रस्तावों/ईओआई के आमंत्रण/प्रस्तुत करने की तारीख में विस्तार के संबंध में ।

यह, प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना की बैकवर्ड एवं फारवर्ड लिंकेज सृजन स्कीम के अंतर्गत बैकवर्ड एवं फारवर्ड लिंकेजों के सृजन हेतु भावी प्रमोटरों/निवेशकों से प्रस्तावों के आमंत्रण के लिए इस मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड तथा विभिन्न समाचार-पत्रों में दिनांक 07.03.2018 को प्रकाशित अभिरुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) की सूचना के संदर्भ में है । प्रस्ताव/ईओआई प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख दिनांक 30.04.2019 अथवा उससे पूर्व की थी । तथापि, एसटी परियोजनाओं तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) की परियोजना के लिए ईओआई/प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख को अब दिनांक 30.06.2019 के अपराह्न 5:00 तक के लिए बढ़ा दिया गया है ।

एसटी/एनईआर वर्ग के इच्छुक प्रमोटर/निवेशक अब अपने प्रस्ताव केवल ऑनलाइन पोर्टल अर्थात्, <http://sampada-mofpi.gov.in/linkages/Login.aspx> पर दिनांक 30.06.2019 को अथवा उससे पूर्व प्रस्तुत कर सकते हैं । दिनांक 07.03.2018 की ईओआई में दी गई सभी अन्य शर्तें यथावत रहेंगी ।

इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया गया है ।



(कुलदीप कुमार सिंह)

उपसचिव, भारत सरकार

दूरभाष सं. 011-26406510

ई-मेल:cbfl-mofpi@gov.in